न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 34/2021 जिला दौसा।

1. श्रीमति डगली पुत्री भोरया पत्नि बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट हाल आबाद पीलूखेडा तहसील बोली जिला सवाईमाधोपुर।
2. श्रीमति लाली पुत्री भोर्या पत्नि कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम देवली हाल निवासी कोकरिया तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. श्रीमति अमरी पुत्री भोर्या पत्नि गिर्राज प्रसाद जाति मीना निवासी ग्राम देवली हाल आबाद बडेखण तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. श्रीमति कमला पुत्री भौर्या पत्नि रामनिवास जामि मीना निवासी ग्राम देवली वर्तमान निवासी कोटडा तहसील बोली जिला सवाईमाधोपुर

अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमति रामा देवी पत्नि स्व0 रेवडमल जामि मीना निवासी देवली ढाणी बोलरो तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. मुकेश पि.मु. भोर्या उर्फ भोरीलाल जाति मीना निवासी देवली ढाणी बालेरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. श्रीमति मंगली देवी पुत्री रेवडमल नत्नि घनश्याम जाति मीना निवासी ग्राम खेडली तहसील लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा दिनांक 07.04.2021 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील 01/2019

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलान्ट श्री उमेश गौड।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री श्यामबाबू पारीक।

निर्णय

दिनांक–07.12.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 07.04.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 08.06.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतक खातेदार भोरया की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 1921 तन ग्राम देवली तह0 लालसोट दिनांक 27.09.2017 को ग्राम पंचायत देवली द्वारा अपीलांटस् एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के पक्ष में स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेंट् संख्या 01 रामा देवी ने अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दोसा में प्रस्तुत की गई।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा शीर्षक अपील रामादेवी बनाम मुकेश वगैराह को निर्णय दिनांक 07.04.2021 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1921 ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा दिनांक 27.09.2017 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि मृतक भोरया की विरासत का नामान्तकरण विधिवत रूप से वारिसान की जांच कर नामान्तकरण तस्दीक करे।
4. न्यायालय उपखण्ड अधिकार लालसोट जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2021 से व्यथित होकर अपीलांटान् के द्वारा यह द्वितीय अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टान् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2021 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गई।
5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

6. अपीलांटान् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि स्व0 भोरया पुत्र छीतर्या जाति मीना निवासी ग्राम देवली ढाणी बालेरा तहसील लालसोट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमिया खसरा नम्बर 120, 126, 132, 203 व 211 कुल किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम देवली तहसील लालसोट में स्थित है। स्व0 भोरया की मृत्यु दिनांक 30.8.2017 को हो गई थी। मृतक भोरया की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.9.2017 को मृतक भोरया के मृतक पुत्र रेवड की पत्नि रामा देवी प्रत्यर्थी संख्या 1 उनकी पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 3 स्व0 भोरया के दत्तक पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 मुकेश एवं हम अपीलांटान् के नाम भरा गया। उक्त नामान्तकरण की तुलना भू0अ0 निरीक्षक द्वारा इसी दिन की गई तथा ग्राम पंचायत देवली द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा दिनांक 27.9.2017 को स्वीकार किया गया। नामान्तकरण संख्या 1921 की प्रतिलिपि प्रत्यर्थी संख्या 1 रामा देवी ने तहसील कार्यालय से प्राप्त कर दिनांक 11.1.2019 को अधीक समयातीत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। जिसमें अपनी पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 3 अपने देवर मुकेश एवं हम अपीलांटस को प्रत्यर्थीगण पक्षकार बनाकर प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय में विवेचन किया गया है कि मीना जाति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित नही होती है। अतः पुत्रीयो को उत्तराधिकार प्राप्त नही होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विवचेन कर अपने न्यायिक विवेक कर दयनियता को प्रकट किया है। माननीय राजस्व मण्डल, माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयो में सि्द्वांत प्रतिपादित किया है कि मीना जाति में भी पुत्रीयो के समान अधिकार हैं। स्व0 भोरया की खातेदारी भूमि में उसकी पुत्रवधु प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं दत्तक पुत्र मुकेश के अलावा हक अपीलांटान भी उत्तराधिकारी है। प्रत्यर्थी मंगली स्व0 भोरया की उत्तराधिकारी नही है। पटवारी हल्का द्वारा मंगली को भोरया की उत्तराधिकार बताकर नामान्तकरण में उसका नाम गलत अंकित किया है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांटान् पक्ष द्वारा उद्धत न्यायिक उद्धरणो को बिना समझे विधि विरूद्ध प्रश्नगत निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय विधि, प्रकिया, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धांतो के विपरीत क्षेत्राधिकार का सम्यक उपयोग किये बिना पारित किये जाने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटान ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.04.2021 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 19.4.2021 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2004 RBJ 610, 2002 RBJ 857, 1998 RBJ 456, 2003(2) DNJ(SC) 346 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है।

7. रेस्पोडेंटस् के योग्य अधिवक्ताओ ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि भौरया पुत्र छीतर्या मीना की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख0न0 120, 128, 132, 203, 211 कुल किता 5 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम देवली तह0 लालसोट में स्थित है। भौरया द्वारा अपने जीवनकाल में ही मुकेश को विधि पूर्ण तरीके से गोद ले लिया गया था जिसका गोदनामा उपपंजीयक कार्यालय लालसोट में दिनांक 07.04.2011 को पंजीकृत हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि मेरी कृषि भूमि का नामान्तकरण मेरा दत्तक पुत्र एवं मेरी पुत्र वधू रामादेवी दोनो बराबर–बराकर हिस्से का खुलवाने के अधिकारी होंगे एवं मेरी सम्पति में दोनो बराबर के भागीदार होंगे। उक्त गोदनामें का अंकन प्रश्नगत नामान्तकरण की पुस्त पर भी अंकित है। किन्तु भौरया की मृत्यु के पश्चात भौरया की उपरोक्त भूमियो बाबत विरासत का नामान्तकरण संख्या 1921 अपीलांटान् एवं रेस्पोडेंटस के हक में बिना सूचना व सुनवाई के ही गलत सजरे के आधार पर ग्राम पंचायत देवली द्वारा दिनांक 27.9.2017 को स्वीकृत कर दिया गया। ग्राम पंचायत देवली द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 1921 दिनांक 27.9.2017 के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अपील पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही नामान्तकरण संख्या 1921 दिनांक 27.9.2017 तन ग्राम देवली के सबंध में अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

पारित कर तहसीलदार लालसोट को प्रकरणमृतक भोरिया के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण खोलने हेतु रिमाण्ड किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है।

1. हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 2(2)
2. हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 2(2) एवं 2(13)
3. जयपुर टीनेन्सी एक्ट 1946 धारा 17(1)
4. अपील डिकी/टी.ए./8211,8212/2009/अलवर डी.बी. निर्णय दिनांक 14.12.17
5. 1998 RRD 391, 2002(1) RRT

8. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार भोरया पुत्र छीतरया के विरासत के नामान्तकरण संख्या 1921 दिनांक 27.9.2017 तन ग्राम देवली के संबंध में है। रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर कथन किया कि भौरया पुत्र छीतर्या मीना की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख0न0 120, 128, 132, 203, 211 कुल किता 5 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम देवली तह0 लालसोट में स्थित है। भौरया द्वारा अपने जीवनकाल में ही मुकेश को विधि पूर्ण तरीके से गोद ले लिया गया था जिसका गोदनामा उपपंजीयक कार्यालय लालसोट में दिनांक 07.04.2011 को पंजीकृत हुआ। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि मेरी कृषि भूमि का नामान्तकरण मेंरा दत्तक पुत्र एवं मेरी पुत्र वधू रामादेवी दोनो बराबर बराकर हिस्से का खुलवाने के अधिकारी होंगे एवं मेरी सम्पति में दोनो बराबर के भागीदार होंगे। उक्त गोदनामें को अंकन प्रश्नगत नामान्तकरण की पुस्त पर भी अंकित है। किन्तु भौरया की मृत्यु के पश्चात भौरया की उपरोक्त भूमियो बावत विरासत का नामान्तकरण संख्या 1921 अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के साथ रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 के हक में भी बिना सूचना व सुनवाई के ही गलत सजरे के आधार पर ग्राम पंचायत देवली द्वारा दिनांक 27.9.2017 को स्वीकृत कर दिया गया। ग्राम पंचायत देवली के उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेंट्स संख्या 1 रामा देवी के द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण 1921 दिनांक 27.09.2017 को उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.04.2021 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1921 ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा दिनांक 27.09.2017 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार लालसोट जिला दौसा को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि मृतक भोरया की विरासत का नामान्तकरण विधिवत रूप से वारिसान की जांच कर नामान्तकरण तस्दीक करे।

9. अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 01 रामा देवी द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली के अवलोकन से प्रतित होता है कि प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 22.3.2021 एवं दिनांक 31.03.2021 को (रेस्पोडेंटस संख्या 3 से 6) वर्तमान अपीलांटान की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र वास्ते रिकार्ड तलब करने पेश किये जाने पर शामिल मिसल किया गया है। (रेस्पोडेंटस संख्या 3 से 6) वर्तमान अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो का निस्तारण किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 07.04.2021 को निर्णय पारित कर दिया गया। हम समझते है कि अपीलांटान प्रंश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं। अपीलांटान वादग्रस्त आराजी भूमि के खातेदार होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत दोनो प्रार्थना पत्रो का निरस्तारण करते हुये अपीलांटान को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने

खण्डपीठ संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

अपीलाटान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो का निस्तारण किये बिना व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है।

10. अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण से प्रभावित समस्त पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

11. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner